फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम —हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

मुकेश पुत्र रोशन जाति जांगिड निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

1. विमला देवी पत्नि नाहरसिंह जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा, **मुकदमा नं0 185/2024**
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन जानिव मुदई रूबरू आर.सी. जैन एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 682/1 रकबा 0.1067 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन वादी मुकेश पुत्र रोशन जाति जांगिड निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 682/2 रकबा 0.0533 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन प्रतिवादी सं0 1 विमला देवी पत्नि नाहरसिंह जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादी सं01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 682/1 रकबा 0.1067 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, वादी को बेदखल नहीं करें। प्रतिवादी सं01 उक्त भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे कि जिससे वादी के हक हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.01.2026 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
हिण्डौन सिटी (करौली)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 185/2025 तारीख रजू:– 03.09.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

मुकेश पुत्र रोशन जाति जांगिड निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————— वादी

बनाम

1. विमला देवी पत्नि नाहरसिंह जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —— प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादी

2. श्री आ.सी.जैन एडवोकेट प्रतिवादी सं01

निर्णय

दिनांकः— 06.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.05.2025 को दावा वादी की सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को बंटवारा मौका कमीश्नर 1000 रूपये फीस पर नियुक्त कर निर्देश दिये गये कि खसरा न0 682 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली में वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हिस्से व कब्जे अनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार करें। बटवारा स्कीम दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेश के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। नक्शा ट्रेस में अलग–अलग रंगों से वादी व प्रतिवादी का हिस्सा अंकित करें।

मुताविक आदेश तहसीलदार (भू–अभि0) हिण्डौन के पत्रांक भू.अ. /2025/ 1857 दिनांक 15.07.2025 से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बंटवारा स्कीम पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। जिस पर वकील प्रतिवादी सं01 ने भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई बल्कि मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने बाबत् अपनी सहमति व्यक्त की।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 682/1 रकबा 0.1067 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन वादी मुकेश पुत्र रोशन जाति जांगिड निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 682/2 रकबा 0.0533 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन प्रतिवादी सं0 1 विमला देवी पत्नि नाहरसिंह जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन के हिस्से में आयी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिक्री एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादी अपने दावा को फाईनल डिक्री कराना चाहते हैं। जिसमें प्रतिवादी सं01 को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होना प्रतीत होता है। बल्कि प्रतिवादी सं01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने की सहमति व्यक्त की है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निषेधाज्ञा मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 682/1 रकबा 0.1067 है0 वाके ग्राम पट्‌टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन वादी मुकेश पुत्र रोशन जाति जांगिड निवासी पट्‌टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 682/2 रकबा 0.0533 है0 वाके ग्राम पट्‌टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन प्रतिवादी सं0 1 विमला देवी पत्नि नाहरसिंह जाति जाट निवासी पट्‌टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादी सं01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 682/1 रकबा 0.1067 है0 वाके ग्राम पट्‌टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, वादी को बेदखल नहीं करें। प्रतिवादी सं01 उक्त भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे कि जिससे वादी के हक हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली